संख्या–3864 / 9–आ–3–2001–2एलयूसी / 99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
2. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. **अध्यक्ष / सचिव,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग – 3 लखनऊः दिनाँक–16 अप्रैल, 2001

विषय : महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–2245 / 9–आ–3–98–26एलयूसी / 91, दिनांक 28 अगस्त, 98 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शसनादेश में विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियों / निनियमित क्षेत्रों में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क के निर्धारण की व्यवस्था की गई है, किन्तु उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1998 में कृषि / मनोरंजन इत्यादि से आश्रम मठ एवं धार्मिक स्थल में भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु देय भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1998 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के पृष्ठ – 2 में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क की निर्धारित दरों में क्रमांक–1 पर उल्लिखित कृषि / मनोरंजन से आश्रम, मठ एवं धार्मिक स्थल में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन शुल्क उसी दर से वसूल किया जायेगा जैसा कि कृषि / मनोरंजन से सामुदायिक सुविधाओं में भू–उपयोग परिवर्तन करने पर वसूल किया जाता है।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।
4. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव